

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-1 बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य0वादप्रक0 क0-66ए/2016

संस्थित दिनांक 15.04.2013

हुकुमचंद उम्र-43 वर्ष पिता स्व0 नान्हूलाल शरणागत,
निवासी ग्राम मरारीटोला बिरसा, प.ह.नं.44, रा.नि.मं.
बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट म0प्र0।

.....वादी।

विरुद्ध

- 1.टोपराम उम्र-65 वर्ष पिता स्व0 गुजोबा, जाति पंवार, निवासी
ग्राम मरारीटोला बिरसा, प.ह.नं.44, रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बिरसा।
- 2.श्रीमती जशोदाबाई उम्र-62 वर्ष पति श्री भैयालाल बिसेन, जाति
पंवार, निवासी मरारीटोला, बिरसा हाल मुकाम टिंगीपुर तहसील बिरसा।
- 3.श्रीमती गुननबाई उम्र-60 वर्ष पति श्री चिन्तामन निवासी ग्राम
मरारीटोला बिरसा, तहसील बिरसा।
- 4.श्रीमती कौशनबाई, उम्र-55 वर्ष पति श्री डियाराम भगत
निवासी मरारीटोला बिरसा हाल मुकाम धुर्रेमेटा तहसील बिरसा।
- 5.श्रीमती सरसताबाई उम्र-35 वर्ष पति श्री लक्ष्मीप्रसाद निवासी ग्राम
मरारीटोला बिरसा, हाल मुकाम ग्राम भीमा तह. बिरसा।
- 6.श्रीमती भागरताबाई उम्र लगभग 30 वर्ष पति श्री राजेश भगत निवासी
ग्राम मरारीटोला बिरसा जिला बालाघाट।
- 7.म0प्र0 राज्य द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट।
- 8.श्रीमती भेजनबाई पति स्व0 नान्हूलाल उम्र-60 वर्ष,
निवासी मरारीटोला बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 9.शिवशंकर गोस्वामी उम्र 50 वर्ष पिता श्री मदनगिरी गोस्वामी
जाति गोस्वामी, निवासी मरारीटोला तहसील बिरसा जिला बालाघाट
- 10.पवनलाल बघेल उम्र-42 वर्ष पिता निरपत बघेल, जाति पंवार,
निवासी ग्राम बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

- 11.गुहदड़ देशमुख उम्र-35 वर्ष पिता सुखदास देशमुख, जाति मरार,
निवासी मरारीटोला तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 12.मुकेश राहंगडाले उम्र-35 वर्ष पिता देवीलाल, जाति मरार,
निवासी सरईटोला, करमसरा तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 13.चेतनाथ बिसेन उम्र-50 वर्ष पिता भैयालाल बिसेन जाति पंवार,
निवासी ग्राम टिंगीपुर तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 14.दोहाराम उम्र-48 वर्ष पिता भैयालाल बिसेन, जाति पंवार,
निवासी ग्राम टिंगीपुर तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 15.केवेन्द्र बिसेन उम्र-35 वर्ष पिता शंकरलाल बिसेन, जाति पंवार,
निवासी ग्राम दुधी तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 16.चुन्नीलाल उम्र-52 वर्ष पिता नामालुम जाति गोंड, निवासी
मरारीटोला तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 17.शिव ग्वाल पिता बालकदास ग्वाल, उम्र-40 वर्ष, जाति पंवार, निवासी
मरारीटोला तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण ।।

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक **30.07.2016** को घोषित ::—

1. यह वाद वादग्रस्त भूमि मौजा मरारीटोला बिरसा प.ह.नं.44 खसरा क्रमांक 47/1 रकबा 9.15 एकड़ भूमि का बंटवारा, अंश निर्धारण कर स्वत्व घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा स्वीकृत है कि विवादित संपत्ति के पूर्व स्वामी गुजोबा ने अपनी पुत्रियों को उनका हक, हिस्सा अपनी संपत्ति में से दे दिया था इसलिये प्रतिवादी क्रमांक.02 लगायत 06 का विवादित संपत्ति पर हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 08 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विवादित संपत्ति का वर्ष 1973 में बंटवारा हो गया है।
3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 ग्राम

Filling no,234503004292013

मरारीटोला प.ह.नं.44 रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट के स्थाई निवासी है। प्रतिवादी क्रमांक 02 से लगायत 06 भी अपने विवाह के पश्चात ग्राम मरारीटोला के ही निवासी है। इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादीगण आपस में सगे रिश्तेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि खसरा क्रमांक 47/1 रकबा 9.15 एकड़ है जो वादग्रस्त भूमि है। यह भूमि प्रारंभ में गुजोबा के स्वत्व की संपत्ति थी। गुजोबा का विवाह बायाबाई नामक महिला से हुआ था जिसकी ला-औलाद मृत्यु हो गई थी। गुजोबा ने द्वितीय विवाह मन्तुराबाई से किया था, जिससे उसे 03 पुत्रियाँ और 02 पुत्र उत्पन्न हुये। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 01 गुजोबा का पुत्र है तथा वादी गुजोबा के पुत्र नान्हू का पुत्र है। प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 04 गुजोबा की पुत्री है जिन्हें पूर्व में ही उनका हक व हिस्सा दे दिया गया था और वे लोग विवादित संपत्ति पर उनका हक नहीं होने की सहमति दे चुके है। प्रतिवादी क्रमांक 05 व 06 वादी की बहने है और उन्होंने विवादित संपत्ति पर अपना हक नहीं मांगा है। गुजोबा ने अपनी पुत्री गुननबाई का विवाह चिंतामन से किया था जो घर जवाई बनकर गुजोबा के साथ रहता था, उसे मृतक बायाबाई ने अपने मायके से प्राप्त भूमि में से 04 एकड़ की भूमि दे दी थी जिसपर वह काबिज है। गुजोबा की पत्नी बायाबाई अपने माता-पिता की एकमात्र वारिस थी इसलिये उसे अपने मायके पक्ष से खसरा क्रमांक 41 की कुल 11 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। गुजोबा द्वारा अपने घर जवाई को 04 एकड़, नान्हूराम को 05 एकड़ एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 को 02 एकड़ भूमि दी गई थी और उपरोक्त भूमि प्राप्त करने के पश्चात सभी लोग मालिक काबिज होकर उसपर खेती करते थे।

4. प्रतिवादी क्रमांक 01 ने सर्वे क्रमांक 47/1 रकबा 9.15 डिसमिल भूमि पर मात्र अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया, जबकि इस भूमि पर सभी वारसानों का हक व हिस्सा है। वादी ने विवादित भूमि का बंटवारा करने के लिये प्रतिवादी क्रमांक 01 से कहा तो उसने विवाद किया और वादी को धमकी दी। गुजोबा की मृत्यु के पश्चात राजस्व अभिलेख में नान्हूलाल एवं टोपराम के नाबालिग होने से उनकी वली माँ मन्तुराबाई का नाम दर्ज हुआ था। मृतक नान्हूलाल अनपढ़ था तथा उसे आंखों से कम दिखाई देता था, इसी बात का फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने खसरा क्रमांक 47 की रकबा 12 एकड़ जमीन को अपने नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया। वादी ने वर्ष 2012 में राजस्व कर्मचारी से जानकारी प्राप्त की तब उसे यह जानकारी हुई कि संपूर्ण खसरा क्रमांक 47 की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने नाम पर दर्ज करा लिया है। स्व0 नान्हूलाल की पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 08 भी वर्तमान में जीवित है इसलिये पैतृक संपत्ति में

Filling no,234503004292013

उसे भी एक अंश प्राप्त करने का अधिकार है। विवादित भूमि के पैतृक संपत्ति होने से वादी को खसरा क्रमांक 47/1 रकबा 9.15 एकड़ में से आधे भाग का अंश प्राप्त करने का अधिकार है। अतः विवादित भूमि का बंटवारा कराया जाकर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 08 को उनका हिस्सा व कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी क्रमांक 01 का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है उसे प्रभावशून्य घोषित किया जावे। विवादित भूमि को प्रतिवादीगण विक्रय न करें इसलिये भविष्य में उसे विवादित संपत्ति विक्रय न करने से स्थाई रूप से निषेधित किया जावे।

5. स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 ने यह कहा है कि गुजोबा ने अपने सभी पुत्र-पुत्रियों को सन् 1973 में स्वयं की संपत्ति का बंटवारा कर हिस्सा व कब्जा दे दिया था। विवादित भूमि पैतृक संपत्ति नहीं है क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपनी कमाई से बक्शीशनामा के माध्यम से उसे क्रय किया था। वादी की माँ भेजनबाई जो वर्तमान में जीवित है तथा वादी की बहन सरसताबाई, भागरताबाई को एक एकड़ भूमि हिस्से में दी गई थी जो उनके नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 प्रतिवादी क्रमांक 01 की सगी बहने हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 अपनी बहनों को लाने ले जाने का कार्य करता है। प्रकरण में वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि बायाबाई के ला-औलाद मरने के बाद गुजोबा ने मन्तुराबाई से विवाह किया था जिससे उसे वादी का पिता नान्हूलाल तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 संताने उत्पन्न हुई। गुजोबा की संपत्ति का विधिवत बंटवारा सन् 1973 में किया गया और पारिवारिक व्यवस्था पत्र अनुसार सभी को कब्जा भी दे दिया गया था। वादी के पिता नान्हूलाल के नाम पर राजस्व अभिलेख में अधिक भूमि दर्ज हो गई थी इसलिये पारिवारिक व्यवस्था पत्र अनुसार एक बक्शीशनामा सन् 1973 को निष्पादित किया गया जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 01 के पक्ष में ख.नं.43/2 रकबा 0.23, ख.नं. 45/1 रकबा 6.15 एकड़, ख.नं. 47/5 रकबा 0.88 एकड़, ख.नं. 47/7 रकबा 0.43 डिसमिल कुल रकबा 7.69 एकड़ भूमि वादी के पिता ने रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के नाम से प्रतिवादी क्रमांक 01 को दी थी। उपरोक्त बंटवारे के पश्चात दिनांक 10.04.1978 को खसरा क्रमांक 41/1 में से 50 डिसमिल भूमि वादी के पिता नान्हू ने प्रतिवादी क्रमांक 01 टोपराम को 1,000/- रुपये में विक्रय कर उसका कब्जा दे दिया था। नान्हू की मृत्यु होने के बाद नामांतरण के आधार पर वादी, वादी की माँ भेजनबाई तथा प्रतिवादी क्रमांक 05 व 06 जो वादी की बहने हैं, उनके नाम पर भूमि दर्ज हुई। वादी ने

Filling no,234503004292013

बंटवारे में अपनी माँ प्रतिवादी क्रमांक 08 व अपनी बहने प्रतिवादी क्रमांक 05 व 06 को एक एकड़ भूमि हिस्से में दी थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने पुत्र रूपलाल के नाम पर सरसताबाई की उपरोक्त भूमि 40 डिसमिल जो उसे बंटवारे में प्राप्त हुई थी, को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया और उस पर काबिज है। इस प्रकार विवादित संपत्ति का पूर्व में बंटवारा होने के पश्चात वादी पुनः उसका 40 वर्ष पश्चात बंटवारा मांग रहा है। वादी ने विवादित भूमि का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया है। वादी द्वारा आधारहीन दावा प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

6. स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 08 ने यह कहा है कि विवादित भूमि गुजोबा की पैतृक संपत्ति नहीं थी। यह संपत्ति बायाबाई को अपने मायके से प्राप्त हुई थी, विवाह करने के पश्चात गुजोबा को यह संपत्ति प्राप्त हुई थी। गुजोबा की प्रथम पत्नी बायाबाई से उसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी इसलिये उसने द्वितीय विवाह मन्तुराबाई से किया था। बायाबाई के पिता मनीराम ने कुछ भूमि बायाबाई के नाम अंतरित कर दी थी तथा मनीराम के मरने के बाद फौती दाखिला के आधार पर बायाबाई, पुत्र टोपराम, नान्हूलाल तथा मन्तुराबाई के नाम पर शामिल-शरीक राजस्व अभिलेख में संपत्ति दर्ज की गई। बायाबाई ने अपने पिताजी की भूमि का पारिवारिक बंटवारा अपने दोनों पुत्र के बीच कर दिया था। बायाबाई की सेवा प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा की गई थी इसलिये पारिवारिक सहमति के आधार पर बक्शीशनामा दिनांक 02.07.73 निष्पादित किया था और शामिल-शरीक नान्हू का नाम खसरा क्रमांक 43/2 रकबा 0.23, ख.नं. 47/1 रकबा 6.15 डिसमिल, ख.नं.47/5 रकबा 0.88 डिसमिल, ख.नं.47/7 रकबा 43 डिसमिल कुल रकबा 7.69 डिसमिल भूमि से नान्हू का नाम विलोपित करवा दिया गया और प्रतिवादी क्रमांक 01 का ही नाम उपरोक्त भूमि पर रखा गया। उपरोक्त भूमि पथरीली एवं कम उपजाऊ किस्म की भूमि थी परन्तु बायाबाई की सेवा-सुश्रुवा करने से यह भूमि बायाबाई द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 को दी गई थी। बायाबाई के नाम पर दर्ज भूमि खसरा क्रमांक 41 रकबा 11.21 में से रकबा 5.21 एकड़ तथा 43/1, 43/55 रकबा 0.80 डिसमिल में से 0.29 डिसमिल कुल रकबा 5.50 डिसमिल भूमि नान्हू के नाम पर दर्ज करवा दी गई। बंटवारे के बाद वादी के पिता नान्हू से प्रतिवादी क्रमांक 01 ने भूमि क्रय की तथा वादी की बहन व माँ से भी उपरोक्त बंटवारा होने के बाद उनके हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 टोपराम ने क्रय की। इस प्रकार बंटवारा

Filling no,234503004292013

होने के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विधिवत भूमि क्रय कर स्वत्व अर्जित किया है इसलिये वादी का विवादित भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है और न ही वह इसका बंटवारा कराकर एक अंश प्राप्त करने का अधिकारी है। वह स्वयं वादी की माँ है और उसे बंटवारे की पूर्ण जानकारी है इसलिये वादी का वाद निरस्त किया जावे।

7. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख उसके निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क मांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या ग्राम मौजा मरारीटोला प.ह.नं.44, तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 47/1 रकबा 9.15 एकड़ भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 08 की पैतृक खानदानी भूमि है ?	अप्रमाणित
2	क्या उक्त विवादित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 08 का 1/2 अंश पर स्वत्व प्राप्त है ?	अप्रमाणित
3.	क्या उक्त प्रतिवादी क्रमांक 01 से विवादित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 08 अपने अंश का पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार है ?	अप्रमाणित
4.	क्या वादी का वाद समयावधि के भीतर पेश किया गया है ?	प्रमाणित
5.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका क्रमांक 18 अनुसार

वादप्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष:—

8. इस वादप्रश्न क्रमांक 04 का संबंध विधि पर आधारित होने से इसका निराकरण सर्वप्रथम किया जा रहा है। वादी साक्षी हुकुमचंद वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 47/1 रकबा 9.15 एकड़ का बंटवारा नहीं हुआ था और प्रतिवादी क्रमांक 01 ने खसरा नंबर 47/1 रकबा 9.15 एकड़ भूमि की संपूर्ण भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा लिया है। वादी ने वादपत्र की कंडिका क्रमांक 10 में यह उल्लेख किया है कि राजस्व कर्मचारी से दिनांक 20.12.2012 को उसने जानकारी प्राप्त की और नकल प्राप्त करने पर उसे यह जानकारी हुई कि संपूर्ण वादग्रस्त भूमि

Filling no,234503004292013

प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस प्रकार वादी ने वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक 20.12.2012 होने का अभिवचन किया है। विधि अनुसार वादी को वाद कारण उत्पन्न होने के तीन वर्ष के अन्दर अपना दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। वादी ने यह दावा दिनांक 15.04.2013 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। समयावधि में वाद प्रस्तुत करने के प्रश्न का निराकरण करते समय वादी के अभिवचनों को ही आधार मानकर समयावधि का निर्धारण करना चाहिये जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया गया हो। वादी ने अपने अभिवचन में वाद उत्पन्न होने की दिनांक 20.12.2012 होना कहा है और वाद प्रस्तुति दिनांक 15.04.2013 है तो वादी द्वारा दावा समयावधि में ही प्रस्तुत करना अर्थात् दावा 03 वर्ष के अन्दर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना माना जावेगा। अतः वादप्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क01 एवं 02 का निष्कर्ष:-

9. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी हुकुमचंद वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जिसका खसरा क्रमांक 47/1 रकबा 9.15 एकड़ है। यह भूमि वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 06 ने विवादित भूमि में से अपना हक त्याग दिया है और इस संबंध में सहमति पत्र लिखकर भी दे दिया है।

10. विवादित भूमि प्रारंभ में गुजोबा की संपत्ति थी। गुजोबा की प्रथम पत्नी बायाबाई से उसे कोई संतान नहीं हुई इसलिये उसने मन्तुराबाई से दूसरा विवाह किया जिससे उसे कुल 05 संताने उत्पन्न हुई। वादी हुकुमचंद वा.सा.01 का पिता नान्हूलाल, प्रतिवादी क्रमांक 01 टोपराम के अलावा प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 मन्तुराबाई की पुत्री है। प्रतिवादी क्रमांक 03 गुननबाई का विवाह चिंतामन से हुआ था जो घर जवाई बनकर रहने लगा इसलिये खसरा क्रमांक 41 रकबा 11 एकड़ में से 04 एकड़ भूमि गुननबाई को दी गई और उसमें उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दिया गया। खसरा क्रमांक 41 कुल रकबा 11 एकड़ में से 05 एकड़ जमीन नान्हूलाल के नाम पर दर्ज करवा दी गई तथा और शेष 02 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर दर्ज करवाई गई थी। वर्तमान में खसरा क्रमांक 47/1 का रकबा 9.15 एकड़ है। इस भूमि का पूर्व में रकबा 12 एकड़ था तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा विक्रय करने के पश्चात 9.15 एकड़

Filling no,234503004292013

भूमि ही शेष है जिसका बंटवारा नहीं हुआ और प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह भूमि मात्र अपने ही नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली जबकि इसमें वादी के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 को बराबर हिस्सा मिलना चाहिये था। वादी के पिता की आंखों से कम दिखता था जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने संपूर्ण भूमि अपने नाम पर दर्ज करवा ली। वादी को भी आंखों से कम दिखता है और उसने जब भी प्रतिवादी क्रमांक 01 से बंटवारे की बात की तो प्रतिवादी क्रमांक 01 ने उसे टाल दिया। वर्ष 2012-13 में वादी को जानकारी हुई कि पैतृक भूमि खसरा क्रमांक 47 के संपूर्ण रकबे की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली है। अतः वर्तमान में खसरा क्रमांक 47 की कुल रकबा 9.15 डिसमिल भूमि में से आधा हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 08 को दिलाया जावे एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है इसलिये इस संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

11. वादी ने विवादित भूमि के विषय में अधिकार अभिलेख पंजी प्र.पी. 01 अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिसमें सन् 1954-55 में सर्वे नंबर 47/1, 43/2 की रकबा 9.15 तथा 0.23 एकड़ इस प्रकार कुल 02 सर्वे की 9.38 एकड़ भूमि नान्हू टोपराम नाबालिग पिता गुजोबा पालक माँ मन्तुराबाई एवं बायाबाई बेवा गुजोबा के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होना दर्शित है। प्र.पी.01 की तफसील में यह लेख है कि गुजोबा के फौत होने से लड़के नान्हू टोपराम वली बायाबाई, मन्तुराबाई के नाम पर हस्तांतरित की गई है। अधिकार अभिलेख पंजी नक्शा सन् 1954-55 प्र.पी.02 प्रस्तुत की गई है जिसमें बायाबाई के पति गुजोबा के नाम पर सर्वे क्रमांक 41, 43/1, 45 एकड़ इस प्रकार कुल 02 सर्वे नंबर की 11.69 एकड़ भूमि दर्ज होना दर्शित है। वर्तमान में राजस्व निरीक्षक मंडल क्रमांक 01 बिरसा तसहील जिला बालाघाट की सर्वे नंबर 47/1 की 2.210 हे० रकबा की भूमि खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2012-13 में प्रतिवादी क्रमांक 01 टोपराम वल्द गुजोबा का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है, यह बात प्र.पी.03 से दर्शित है। वादी के कथनों का समर्थन वादी साक्षी ओमकार वा.सा.02, उमेश तुरकर वा.सा.03 एवं कन्हेयालाल वा.सा.04 ने भी अपने शपथ पत्र में कहा है कि विवादित संपत्ति गुजोबा के स्वत्व की संपत्ति थी और वादी को इस भूमि पर हिस्सा नहीं दिया गया है इसलिये वह आधे हिस्से को प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिपरीक्षण में वादी साक्षी हुकुमचंद वा.सा.01 ने यह कहा है कि वह नहीं जानता कि गुजोबा की संतानों के बीच वर्ष 1973 में पारिवारिक बंटवारा हो गया था। प्रतिपरीक्षण की कड़िका क्रमांक 15 में साक्षी ने स्वीकार किया है

Filling no,234503004292013

कि पारिवारिक बंटवारे में खसरा नंबर 41/1 की भूमि उसके पिता नान्हू को प्राप्त हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि भेजनबाई, सरसताबाई, भागरताबाई को जो भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई थी उसमें से 20 डिसमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के पुत्र बुधलाल को विक्रय की गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बायाबाई ने बंटवारे के वक्त फरोख्तनामा के आधार पर नान्हू के नाम पर खसरा क्रमांक 41/1 में 9.15 हे०/एकड़ भूमि दर्ज करवा दी थी। वादी हुकुमचंद वा.सा.01 ने स्वीकार किया है कि उसकी माँ भेजनबाई व उसकी बहन सरसताबाई ने पैतृक संपत्ति में से हिस्सा ले लिया है। प्रतिपरीक्षण में वादी साक्षी हुकुमचंद वा.सा.01 ने प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों को स्वीकार किया है और एक तरह से प्रतिवादी क्रमांक 01 के जवाबदावे में उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार किया है। वादी साक्षी हुकुमचंद वा.सा.01 ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके पिता नान्हू ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 01 टोपराम से बंटवारा के संबंध में विवाद नहीं किया था और न ही कोई दावा पेश किया था और इसका कारण वादी हुकुमचंद वा.सा.01 ने कहा है कि वह अंधा था इसलिये उसने कोई कार्यवाही नहीं की थी। वादी साक्षी ओमकार वा.सा.02, उमेश तुरकर वा.सा.03 एवं कन्हैयालाल वा.सा.04 ने कहा है कि वर्ष 1973 में पारिवारिक बंटवारे की उन्हें जानकारी नहीं है।

12. प्रतिवादी साक्षी टोपराम प्र.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में कहा है कि वादी ने अपनी माँ भेजनबाई, प्रतिवादी क्रमांक 08 के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा वादी ने अपनी बहन भागरताबाई के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है। विवादित भूमि का 40 वर्ष पूर्व पारिवारिक व्यवस्था पत्र अनुसार बंटवारा हो चुका है। उसके नाना मनीराम ने अपनी पुत्री बायाबाई का विवाह उसके पिता गुजोबा से किया था और उसे घर जवाई बनाकर बिरसा ले गया था। बायाबाई से उसके पिता को संतान नहीं होने से उसके पिता गुजोबा ने मन्तुराबाई से विवाह किया जिससे उसके पिता को कुल 05 संताने हुई थी। पारिवारिक व्यवस्था में बंटवारा हुआ था और जो भूमि नान्हू को मिली थी उसका बंटवारा भी नान्हू के वारसानों के बीच में हो गया है। उसके नाना मनीराम की स्वत्व की भूमि लगभग 20 एकड़ थी जो मनीराम की पुत्री बायाबाई को प्राप्त हुई थी और बायाबाई के वारसानों के बीच पारिवारिक व्यवस्था अनुसार बंटवारा हुआ था जिसमें उसके बड़े भाई नान्हू जो कि वादी का पिता था को 0.5 एकड़ एवं उसकी बहन गुननबाई को 04 एकड़ भूमि दी गई थी। इस प्रकार भूमि का बंटवारा किया जा चुका है और वादी का पिता नान्हू इस बंटवारे से संतुष्ट था।

Filling no,234503004292013

13. प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने समर्थन में प्र.डी.02 का बक्शीशनामा अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। बक्शीशनामा दिनांक 02.07.1973 में इस बात का उल्लेख है कि टोपराम वल्द गुजोबा ने नान्हू वल्द गुजोबा से उसके कब्जे व खाते की भूमि की 1,000/— रुपये प्राप्त कर प्रतिवादी क्रमांक 01 टोपराम को दे दी थी। प्र.डी.02 में इस बात का भी उल्लेख है कि नान्हू को बंटवारे में अपने हिस्से की दूसरे खाते की भूमि मिल चुकी है इसलिये बक्शीशशुदा भूमि खसरा क्रमांक 43/2 रकबा 0.23, खसरा क्रमांक 47/1 रकबा 6.15, खसरा क्रमांक 47/5 रकबा 0.88 एवं खसरा क्रमांक 47/7 रकबा 0.43 कुल खसरा क्रमांक 04 रकबा 7.69 पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में से हटाया जाकर टोपराम का नाम दर्ज कराया जावेगा।

14. उल्लेखनीय है कि यह दस्तावेज वर्ष 1973 का दस्तावेज है और साक्ष्य अधिनियम की धारा-90 के अनुसार "जहाँ कि कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुरानी होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहाँ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी, जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है।" ऐसा कोई दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराना है और उचित अभिरक्षा से अभिलेख पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सत्य होने की उपधारणा की जा सकती है। इस प्रकार सर्वे क्रमांक 41/1 रकबा 6.15 एकड़ भूमि की बक्शीश वादी के पिता नान्हू द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 को किया जाना दस्तावेज से प्रमाणित हो रहा है।

15. वादी ने फरोख्तनामा दिनांक 17.07.1973 प्र.डी.03 भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया है परन्तु दस्तावेज अपूर्ण होने से उसके आधार पर कोई धारणा किया जाना उचित नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अन्य दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 30.03.1990 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जिसमें कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने हुकुमचंद, प्रतिवादी क्रमांक 08 भेजनबाई, प्रतिवादी क्रमांक 05 सरसताबाई, प्रतिवादी क्रमांक 06 भागरताबाई द्वारा सर्वे क्रमांक 41/1 की रकबा 20 डिसमिल भूमि रूपलाल वल्द टोपराम को विक्रय किया जाना दर्शित है। इसके अतिरिक्त रसीद बही प्र.डी.04 व 05 अभिलेख पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्र.डी.04 रसीद बही में नान्हू वल्द गुजोबा

Filling no,234503004292013

के नाम पर 5.50 एकड़ भूमि दर्ज होना दर्शित है जबकि प्र.डी.05 में टोपराम के नाम पर सर्वे क्रमांक 47/1 रकबा 6.15 दर्ज होना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि प्र.डी.05 वर्ष 1966-67 की बही है जबकि प्र.डी.05 में अंतिम प्रविष्टि दिनांक 25.03.1974 होना दर्शित है। प्रतिवादी क्रमांक 01 टोपराम का पक्ष समर्थन कर साक्षी भेजनबाई प्र.सा.02 ने कहा है कि वह वादी की माता है। वादी हुकुमचंद वा.सा.01 ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके हिस्से व उसकी पुत्री भागरताबाई के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लिया है। उसके पति नान्हूलाल को पारिवारिक व्यवस्था पत्र के बंटवारे में 5.50 की भूमि, प्रतिवादी क्रमांक 01 टोपराम को 7.69 एकड़ की भूमि प्राप्त हुई थी। यह बंटवारा करीब 40 वर्ष पूर्व हुआ था। उसका पति तथा वह बंटवारे से संतुष्ट थे परन्तु वादी साक्षी हुकुमचंद वा.सा.01 ने न्यायालय के समक्ष झूठा दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि 40 वर्ष पूर्व जो विभाजन हुआ था उसकी लिखा-पढ़ी हुई थी। प्रतिवादी साक्षी भेजनबाई प्र.सा.02 ने स्वीकार किया है कि उसके पति को दिखाई नहीं देने से जमीन जायदाद इत्यादि की उसे ठीक से जानकारी नहीं थी।

16. प्रतिवादी साक्षी रामलाल प्र.सा.03 ने प्रतिवादी टोपराम के कथनों का समर्थन कर यह कहा है कि विवादित भूमि का पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है। प्रतिवादी रामलाल प्र.सा.03 ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 की बहनों को उनके विवाह के समय उनका हक व हिस्सा दे दिया गया था। उपरोक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में उन्होंने इस बिंदु पर अखण्डित साक्ष्य प्रस्तुत की है कि पूर्व में विवादित संपत्ति का बंटवारा हो गया था और वादी के पिता को पारिवारिक बंटवारे अनुसार भूमि प्राप्त हो गई थी। वस्तुतः वर्ष 1973 में पारिवारिक बंटवारा होने के पश्चात वादी के पिता नान्हूराम ने बक्शीशनामा दिनांक 02.07.1973 निष्पादित किया था और अपने हिस्से में आई सर्वे नंबर 47/1 की भूमि 1,000/- रुपये प्राप्त कर प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर बक्शीश कर दी थी जिससे वर्ष 1973 में सर्वे क्रमांक 47/1 तथा 03 अन्य सर्वे क्रमांक 43/2 रकबा 0.23, खसरा क्रमांक 47/5 रकबा 0.88 एवं खसरा क्रमांक 47/7 रकबा 0.43 कुल खसरा 04 रकबा 7.69 की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वत्व की भूमि हो गई इसलिये सर्वे क्रमांक 47/1 की रकबा 9.15 एकड़ भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 08 की पैतृक संपत्ति नहीं मानी जा सकती और उपरोक्त भूमि का विधिवत बंटवारा गुजोबा के पुत्रों के बीच होने से इस पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 08 का आधा स्वत्व नहीं माना जा सकता। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-

17. वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 के निष्कर्ष से विवादित भूमि के विषय में यह निष्कर्ष दिया गया है कि विवादित भूमि वर्तमान में पैतृक संपत्ति नहीं है क्योंकि इसे पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वर्ष 1973 में क्रय किया था इसलिये वादी को विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी विवादित भूमि के विषय में बंटवारा कराकर एक अंश प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं माना जावेगा। अतः वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-

18. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 47/1 रकबा 9.15 एकड़ के विषय में बंटवारा, स्वत्व घोषणा व कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबद् निरस्त किया जाता है एवं निम्न आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

1. वादी वादग्रस्त भूमि मौजा मरारीटोला बिरसा प.ह.नं.44 खसरा क्रमांक 47/1 रकबा 9.15 एकड़ के विषय में बंटवारा, स्वत्व घोषणा व कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
2. वादी प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।
3. अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।
तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

दिनांक **30.07.2016**

स्थान-बैहर

सही/-

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर